न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2020 (अपील नामा)
GCMS No. 2020/00026

अनवान

1. स्व. श्री काशीराम नागदा पिता श्री धुला नागदा के बजाय–
   1/1 श्रीमती भंमरी बाई पत्नी स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/2 श्रीमती रूकमणी बाई पुत्री स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/3 श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/4 श्री हंसराज पुत्र स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/5 श्री नानालाल पुत्र स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/6 श्री सुन्दर पुत्र स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/7 श्री बंशीलाल स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/8 श्री तुलसी बाई पुत्री स्व. श्री काशीराम नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
2. श्री भंवर लाल नागदा पिता श्री धुला जी नागदा निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
3. श्रीमती सवागी बाई पत्नी श्री जवानिंग नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
4. वदामी बाई पुत्री स्व. श्री जवानिंग नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
5. श्री हेमराज पिता स्व. जवानिंग नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
6. श्री चुन्नीलाल पिता स्व. जवानिंग नागदा, निवासी–मंदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
7. श्री मदनलाल पिता स्व. जवानिंग नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

8. श्री संतोष पिता स्व. जवानिंग नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
9. नोजी उर्फ निलीमा पिता स्व. जवानिंग नागदा, निवासी–मदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्व. श्री शंकर लाल पिता श्री धुला नागदा के बजाय–
   1/1 श्री तोलीराम पिता स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी–मंदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/2 कंकु बाई पुत्री स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी–मंदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/3 श्री विनोद कुमार उर्फ वना लाल पिता स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी–मंदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
   1/4 जवेरी बाई पुत्री स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी– ब्राह्मणों का कलवाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयुपर।
   1/5 भूरी बाई पुत्री स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी– ब्राह्मणों का कलवाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयुपर।
   1/6 गुलाबी बाई पुत्री स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी– ब्राह्मणों का कलवाणा, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयुपर।
   1/7 श्री मोहन लाल पिता स्व. श्री शंकर लाल नागदा, निवासी–मंदार, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर।
2. उपतहसीलदार सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. पटवारी हल्का सेमड़, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री काशीराम मेघवाल, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 192 उपतहसीलदार सायरा, आदेश दिनांक 27.12.2013

*** निर्णय ***

दिनांक– 19-03-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 192 उपतहसीलदार सायरा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स के पिता स्व. काशीराम के

पिता धुला पुत्र चेना को तत्कालीन जागीरदार द्वारा वीद 14 संवत 2008 मे आराजी संख्या 888/118 का पट्टा दिया गया था, जो आराजी संख्या 887/76 के हाल आराजी संख्या 888/118 का हाल आराजी संख्या 405 कुल किता 1 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम मदार, पटवार हल्का सेमड़, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर मे स्थित है। अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी श्री धुला व अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर कृषि करते चले आ रहे थे कि जवानिंग जी की मृत्यु वर्ष 2010 मे हो गयी एवं उनके उपरान्त उनके अपीलान्ट्स संख्या 3 से 9 तक उक्त जमीन पर खेती बाड़ी करते चले आ रहे है। उक्त जमीन का भाईयों मे धुला जी के जीवनकाल मे ही बंटवारा कर दिया गया था। मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट्स का भाई होने के कारण उस पर विश्वास करते थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री शंकरलाल ने अपने पिताजी श्री धुला के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर पिता धुला जी के कब्जे के साथ अपना कब्जा बताकर सहायक कलक्टर, उदयपुर के समक्ष धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दो दावे दिनांक 26.12.1962 को पेश किये, जिसके वाद संख्या 48/63 एवं 47/63 है। वाद संख्या 48/63 का निर्णय दिनांक 16.06.1964 को एवं वाद संख्या 47/63 का निर्णय दिनांक 23.03.1964 को हुआ, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धुलाजी एवं अपने नाम से फैसल करवा डिक्री करवा ली एवं जानबुझकर डिक्री की पालना नही करायी। श्री धुलाजी का देहान्त हो जाने के उपरान्त काफी समय पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद संख्या 48/63 मे दिनांक 17.10.2013 एवं वाद संख्या 47/63 मे दिनांक 10.12.2013 को राजस्व डिक्री की पालना बाबत् आवेदन उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष पेश किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा डिक्री की पालना कराये जाने बाबत् वाद संख्या 48/63 मे दिनांक 21.10.2013 एवं वाद संख्या 47/63 मे दिनांक 16.12.2013 को पटवारी हल्का सेमड़ को नामान्तरकरण के लिए आदेशित किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने बिना कोई जांच किये आराजी संख्या 405 रकबा 0.2500 हेक्टेयर का नामान्तरकरण दिनांक 16.12.2013 को खोल दिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना किसी आदेश की जांच किये दिनांक 16.12.2014 को नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया जबकि धुला जी के वारिस अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा भंवर लाल एवं जवानिंग के वारिसान एवं उनकी पत्नी सवागी बाई, पुत्र हेमराज, चुन्नीलाल, मगन लाल एवं पुत्रियां बदामी बाई, संतोष बाई, नोजी बाई का नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 192 अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Date: 2021.04.01 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री गिरजाशंकर मेहता एवं राज्य पक्ष की ओर से

पैरवी हेतु राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि का अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। न्यायालय द्वारा पृथक पृथक समय मे बार बार अवाजे लगवाने के उपरान्त भी विपक्षीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से प्रकरण मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स अधिवक्ता बहस प्रारंभ करते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुये स्वयं को अपीलान्ट्स के पूर्वाधिकारी श्री धुला का विधिक वारिस होना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रकरण संख्या 48/63 एवं 47/63 मे पारित निर्णय की पालना तत्समय जानबुझकर नही कराया जाना, वर्ष 2013 मे डिक्री पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष आवेदन किया जाना, पटवारी हल्का एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच आराजी संख्या 405 रकबा 0.2500 हेक्टेयर का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना, मौके पर अपीलान्ट्स का कब्जा होना आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 192 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की मांग की।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये आराजी संख्या 405 रकबा 0.2500 हेक्टेयर का उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के आदेश दिनाक 16.12.2013 की पालना मे उपतहसीलदार सायरा द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 192 पारित किया जाना अवगत कराया।

हमने अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण की प्रति एवं दस्तावेज आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि कथित नामान्तरकरण संख्या 192 राजस्व ग्राम मदार की आराजी संख्या 405 रकबा 0.2500 हेक्टेयर का उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय मे उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मे स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 48/63 एवं 47/63 अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे पारित निर्णय उपरान्त जारी डिक्री की अनुपालना मे उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.12.2013 के क्रम मे कथित नामान्तरकरण उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित किया गया है। मामले मे मेरा विनम्र मत है कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया है एवं हस्तगत प्रकरण मे नामान्तरकरण का मूल आधार न्यायालय का [illegible] प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है तथा मूल आदेश को चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण को निरस्त करना न्यायोचित नही है। न्यायालय के आदेश की पालना मे राजस्व अभिलेख मे जो इन्द्राज किये गये है, उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

सबंध मे इन्द्राज करने वाले अधिकारी का यह अधिकार नही है कि वह न्यायालय की कार्यवाही के गुणावगुण को देखे। अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व मात्र न्यायिक आदेश की पालना करना था। जैसा कि आर.आर.टी 2005(2) पृष्ठ 774 एवं आर.आर.टी 2012(2) पृष्ठ 1250 मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय मे स्पष्ट रूप से वर्णित है। उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण मे मूल अपील पर नामान्तरकरण संख्या 192 पारित होने की दिनांक 16.12.2014, नामकायमी प्रा. पत्र पर कथित नामान्तरकरण की दिनांक 27.12.2013 एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति पर कथित नामान्तरकरण की दिनांक पृथक अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील मे वर्णित तथ्य अधुरी जानकारी के आधार पर अंकित किये है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण मे कोई त्रुटि नही पाये जाने से कथित नमान्तरकरण मे हस्तक्षेप करना उचित नही है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 192 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested